गौ-तस्कर हत्यारोपी के पक्ष में गौ-रक्षक 'पंचायत' ने ललकारा

पुलिस पकड़ने आई तो अपने पैरों चलकर नहीं जा पायेगी

मानेसर, लोहारू (मज़दूर मोर्चा) दिनांक 16 फरवरी को ज़िला भिवानी के लोहारू खंड के एक गांव में जली हुई बलैरो कार में दो जले हुए नर कंकाल मिले थे। पुलिस एवं परिजनों की तहकीकात के बाद पता चला कि कार में सवार जुनैद व नासिर नामक युवक थे। दोनों भरतपुर के गांव घाटमीका के निवासी थे। इन पर गौ-तस्करी के आरोप में मुकदमे दर्ज होते रहे हैं।

वारदात की रात से पूर्व ये दोनों आगरा जिले के किसी गांव से अपने गांव लौट रहे थे तो इनका अपहरण हो गया था। मीडिया में आई खबरों के अनुसार तथाकथित गौ-रक्षक इनके पीछे लगे हुए थे। हरियाणा (मेवात) सीआईए की मदद से 'गौ-रक्षकों' ने फिरोजपुर झिरका के इलाके में इन्हें घेर लिया। यह स्थान पीड़ितों के गांव घाटमीका से करीब 10-15 कि.मी. की दूरी पर रहा होगा। मीडिया खबरों में बताया गया है कि पकड़े जाने के बाद दोनों तथाकथित तस्करों को पीट-पीट कर इस कदर मृतप्राय कर दिया गया कि उन्हें थाना फिरोजपुर झिरका ने अपनी हिरासत में लेने से ही इन्कार कर दिया। ऐसे में हत्यारों ने इन्हें करीब 300 कि.मी. दूर लोहारू के इलाके में ले जा कर कार समेत जला देना ही बेहतर समझा।

दूसरी ओर मृतकों के परिजनों को जब उनके मोबाइल बंद मिलने लगे तो उन्हें किसी अनहोनी का शक होने लगा। उनके इस शक होने से ही समझा जा सकता है कि उन्हें सदैव 'गौ-रक्षकों' से जान का खतरा बना रहता था। इसी को भांपते हुए परिजनों ने तुरन्त भरतपुर ज़िला पुलिस में जुनैद व नासिर की गुमशुदगी एवं अपहरण की शिकायत दर्ज करा दी। भरतपुर पुलिस ने समय रहते मामले की गंभीरता को समझने का प्रयास नहीं किया। इसी के चलते अपहरणकर्ता उन्हें अपहृत करने, मारने-पीटने व लोहारू तक ले जाने में कामयाब हो सके। परिजनों का यह भी मानना है कि दोनों मृतकों की सही लोकेशन जानते रहने में मेवात सीआईए पुलिस ने अपहर्ताओं की मदद की थी।

इस पूरे जघन्य मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, अपहर्ताओं द्वारा अधमरे युवकों को थाना फिरोजपुर झिरका ले जाना रहा है। यदि भरोमंद सूत्रों की माने तो उस समय सीआईए वाले भी साथ में थे। इसी के चलते थानेवालों ने मामले को अपने यहां दर्ज करने की बजाय भाग जाने को कहा। नियमानुसार, थाने में आये इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिये था। इस मामले की बाकायदा रपट रोज़नामचा दर्ज करके घायलों को अस्पताल तथा लाने वाले अपहर्ताओं को हिरासत में ले लिया जाना चाहिये था। थाने

वालों ने यह गंभीर कोताही शायद साथ आये सीआईए वालों को बचाने के लिये की थी।

थाने वालों की यह कोताही उन्हें भी इस केस में अपराधी बनाती है। लेकिन उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक थाने वालों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस का पक्ष जानने के लिये एसपी नूंह से उनके मो.न. 8930900220 पर सम्पर्क .....

यदि थाना फिरोजपुर झिरका ने कोताही करने की बजाय कानून सम्मत कार्रवाई की होती तो यह मामला इतना बड़ा बबाल न बनता। जाहिर है कि न तो दोनों अपहृत युवक लोहारू ले जाकर जलाये गये होते और न ही अपहर्ताओं की तलाश में भरतपुर पुलिस को इस तरह भटकना पड़ता। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार भरतपुर पुलिस द्वारा पकड़े गये रिंकू सैनी ने पूछताछ में अपने आठ साथियों के नाम बताये, जो इस प्रकार हैं: अनिल निवासी मूलथान नूंह, श्रीकांत निवासी मरोड़ा, कालू निवासी कैथल, शशिकांत निवासी मुनक (करनाल), विकास निवासी जींद, मोनू राणा निवासी पालूवास भिवानी, अनिल उर्फ गोंगी निवासी भिवानी, किशोर निवासी घरोंडा, के रूप में हुई हैं। रिंकू के बयान की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज व कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर किये जाने के बाद तमाम आरोपियों पर दबिश दी जा रही है। रिंकू ने ही बताया कि अपहरण में एचआर 70 डी 4177 नम्बर की सफेद स्कॉर्पियों का इस्तेमाल किया गया था। इस गाड़ी को सोमनाथ गौशाला जींद से बरामद कर लिया गया है। इसमें पाये गये खून के धब्बों की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है।

मोनू मानेसर को गिरोह का सरगना बताया जा रहा है। गुड़गांव जिले के मानेसर क्षेत्र का निवासी मोनू अपने आप को बजरंग दल का कार्यकर्ता एवं 'गौ-रक्षक' बताता है।

भरतपुर पुलिस की पकड़ से बचने के लिये तमाम संघी-बजरंगी आदि-आदि उसके बचाव में आ जुटे हैं। उसके समर्थन में पंचायतें बैठाने तथा राजमार्ग जाम करने जैसे कृत्य किये जा रहे हैं। सत्ता में अपनी पैंठ के चलते इन्होंने राजस्थान पुलिस तक को ललकारते हुए कहा है कि यदि वे मोनू को पकड़ने, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या में आ जायें तो वे अपने पैरो पर चलकर नहीं जा पायेंगे। मतलब तो बड़ा स्पष्ट है कि वे अपराधी को पकड़ने आयेंगे तो वे उन्हें मार गिरायेंगे। यह किसी खुले विद्रोह से कम तो नहीं है। इसके बावजूद न तो हरियाणा सरकार कुछ बोल पा रही है और न ही केन्द्र। क्या इसी तरह बनेगा अखंड भारत ?

गौ-तस्कर व गौ-रक्षक दोनों हैं धंधेबाज़

बीफ़ के लिये पशुओं को इधर से उधर ले जाने का धंधा जो केवल एक वर्ग विशेष के हाथों में रहता आया है, उनके मोटे मुनाफे को देखते हुए एक दूसरा वर्ग गौ-रक्षक के नाम से, मुनाफे में हिस्सा बंटवाने को खड़ा हो गया है। दोनों पक्षों में मुनाफे के इस बंटवारे को लेकर लगातार खूनी झड़पें होती आ रही हैं। तस्करों को संदेश दिया जा रहा है कि वे जो भी पशु इधर से उधर लेकर जायें, उसके लिये उनके वाहनों का इस्तेमाल करें, जिनका किराया बहुत ही महंगा होता है। इसके अलावा क्षेत्रवार लगे नाकों पर भी प्रति पशु के हिसाब से उन्हें भी चंदा देकर जायें।

अपने धंधे से होने वाले मोटे मुनाफे में इस सेंधमारी से बचने के लिये पशु तस्कर भी भरसक प्रयास करते हैं। दूसरे पक्ष ने अपने धंधे को मजबूती देने के लिये भगवा रंग ओढ़ कर अपने आप को गौ-रक्षक घोषित कर रखा है। इस नाम से उन्हें व्यापक हिन्दू वर्ग का समर्थन बैठे-बिठाये मिल जाता है क्योंकि तस्कर वर्ग मुस्लिम सम्प्रदाय से होता है। यहीं पर साम्प्रदायिक राजनीति भी काम करने लगती है। जाहिर है कि इससे वोटों का ध्रुवीकरण एक विशेष राजनीतिक दल को लाभान्वित करता है।

तस्करों से वसूली करने के लिये उनके भीतर भय को बनाये रखना भी अति

आवश्यक है। इसके लिये कभी पहलूखान की हत्या करना तो कभी किसी अखलाक की हत्या करना तो कभी जुनैद व नसीर को जिंदा जलाना भी जरूरी होता है। इस तरह के धंधे में पुलिस का सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जाहिर है कि पुलिस भी अपना 'वाजिब' हिस्सा हड़पने में इस तरह का सहयोग देने से पीछे नहीं हटती।

संदर्भवश सुधी पाठक यह भी जान लें कि 2014 में मोदी के रूप में भगवा सरकार आने के बावजूद बीफ़ निर्यात में कोई कमी आने की अपेक्षा इसमें लगातार बढोत्तरी होती जा रही है। इसकी निर्यातक कम्पनियों, जिनके अधिकांश मालिक हिन्दू हैं, को आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार ने अच्छी-खासी सब्सिडी दी हैं।

इसके अलावा पूरे देश से सैंकड़ों नाके पार करके बांग्लादेश को जाने वाले पशुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। जाहिर है कि बांग्लादेश को होने वाली इस तस्करी में देश भर के तमाम सम्बन्धित राज्यों की पुलिस, नेता व तरह-तरह के रंग-बिरंगे गिरोह शामिल हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।